न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1919/II/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25.07.2005 – पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर – 269 अ–19/ 2000–01 अपील

भगवान सिंह पुत्र मंगल सिंह
निवासी ग्राम रोड़ा तहसील खुरई
जिला सागर, म0प्र0 _____आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन _____अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक ३१ – ८ – 2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 269 अ–19/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.07.2005 विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार मालथोन ने प्रकरण कमांक 84 अ 19/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 18–7–1995 से आवेदक को ग्राम रोड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 509 रकबा 1.19 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का आवंटन किया गया। इस आदेश को अनुविभागीय

अधिकारी, खुरई ने प्रकरण कमांक 178 बी 121/95-96 में पारित आदेश दिनांक 01.08.1996 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 269 अ-19/2000-01 प्रस्तुत की। आयुक्त , सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 25.7.2005 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवंटित की गई भूमि के रकबे को कलेक्टर सागर ने प्रकरण कमांक 122/अ-59/85-86 में पारित आदेश से भूमि का मद परिवर्तन करते हुये काविलकास्त घोषित किया है। वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का 2.10.1984 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है जिसकी विधिवत जांच करने के उपरांत पात्र पाये जाने पर नायव तहसीलदार मालथोन ने आदेश दिनांक 18-7-1995 से भूमि व्यवस्थापित की है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने स्वमेव निगरानी में गलत ढंग से लेकर निरस्त करने में कानूनी भूल की है। भूमि 18-7-95 को मिलने के वाद आवेदक ने काफी धन व श्रम लगाकर भूमि को उपजाउ बनाया है तथा सिंचाई हेतु ट्यूव वैल लगाया है इसी भूमि पर आवेदक का रहवासी मकान बन गया था, अब यदि आवेदक से भूमि वापिस ले ली गई तो आवेदक का परिवार भूॅखों मर जावेगा एंव रहने की व्यवस्था तक नहीं रहेगी। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने आयुक्त सागर

संभाग, सागर के आदेश को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 269 अ-19/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.07.2005 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने अपील को प्रचलनशील योग्य न होना बताते हुये अपील निरस्त की है। अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दि. 1.8.96 के विरूद्व आयुक्त के समक्ष अपील 13.8.01 को अर्थात 5 वर्ष के अंतराल से प्रस्तुत हुई है, किन्तु आवेदक के अभिभाषक के अनुसार आवेदक निरक्षर है । आवेदक ने आयुक्त सागर संभाग के समक्ष अपील में हुये विलम्ब का कारण बताते हुये विलम्ब क्षमा किये जाने की प्रार्थना की है परन्तु आयुक्त व्दारा दिनांक 13.8.2001 को प्रस्तुत हुई अपील को निरन्तर 25 जुलाई 2005 तक चलाते हुये सुनवाई की है ऐसी स्थिति में विलम्ब के आधार पर अपील को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है क्योंकि -

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 47 - विलम्ब से प्रस्तुत अपील - सर्वप्रथम समयावधि के बिन्दु पर निर्णय लिया जावेगा - तत्पश्चात् अन्य कार्यवाही विचारित होगी।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा-5 - सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये - पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।**

आवेदक लिखा-पढ़ा नहीं होना बताया गया है उसे कानून की जानकारी नहीं है। ऐसा आवेदक उदार-रूख अपनाये जाने के लिये पात्र है। परन्तु आयुक्त, सागर संभाग ने समयावधि के बिन्दु पर

अपील प्रस्तुत होने के दिनांक 13.8.2001 से 25 जुलाई 2005 तक निर्णय न लेने की भूल को ढँकते हुये समयावधि के बिन्दु पर इतने अंतराल वाद अपील अमान्य करने में भूल की हैं।

6/ अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने प्रकरण कमांक 178 बी 121/95-96 में पारित आदेश दिनांक 01.08.1996 से नायव तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है अर्थात अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण अपील मद में दर्ज नहीं है अपितु मिस्लेनियस मद बी 121 में दर्ज है। मिस्लेनियस मद में प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार के प्रकरण को स्वतः संज्ञान में लिया है। विचार योग्य है कि क्या राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत अथवा म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण स्वतः संज्ञान में लेकर आवंटन अधिकारी के आदेश को निरस्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं ? इन दोनों ही नियमों एंव अधिनियम में अनुविभागीय अधिकारी को स्वमेव निगरानी की शक्तियां प्राप्त नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी खुरई व्दारा प्रकरण कमांक 178 बी 121/95-96 में पारित आदेश दिनांक 01.08.1996 निरस्त किये जाने योग्य है तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने भी इस बिन्दु पर गौर नहीं करने की भूल की है।

7/ नायव तहसीलदार मालथौन ने आवेदक को आदेश दिनांक 18-7-95 से भूमि का व्यवस्थापन किया है। यदि आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय - आवेदक ने अकृषि योग्य भूमि श्रम व धन व्यय करके

बंधान बनाते हुये ट्यूव वैल उत्खनित कर उन्नत कृषि योग्य बनाया है, तब क्या ऐसे भूमि बंटन आदेश को अनुविभागीय अधिकारी व्दारा स्वयमेव निगरानी में लेकर पुनः शासकीय घोषित करना उचित है ?

1. **इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन 2009 राजस्व निर्णय 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि - भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा-50 - जब किसी पक्षकार को भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती। प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा-50 - अत्याधिक समय व्यतीत होने से एकपक्ष के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और दूसरे पक्षकार के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आवेदक के पक्ष में जो अधिकार उत्पन्न हुये हैं - अब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता।**

विचाराधीन प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है किन्तु अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने आदेश दि0 1.8.96 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने भी आदेश दिनांक 25.7.2005 पारित करते समय इन तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 269 अ-19/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.07.2005 एंव अनुविभागीय अधिकारी, खुरई द्वारा प्रकरण कमांक 178 बी 121/95-96 में पारित आदेश दिनांक 01.08.1996 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। परिणामतः नायव तहसीलदार मालथोन

व्दारा प्रकरण कमांक 84 अ 19/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 18-7-1995 स्थिर रहने से ग्राम रोड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 509 रकबा 1.19 हैक्टर पर आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख में पूर्ववत् दर्ज रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर